विदेशी मुद्रा गतिविधियां

नवंबर 2009

i) अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी)मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों का दायित्व- मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां- संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्टिंग फॉर्मेट

भारत सरकार ने धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2009 का 21) के जरिये धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया है और उक्त संशोधन 1 जून 2009 से लागू हो गया है। इस संशोधन ने, अन्य बातों के साथ -साथ, प्राधिकृत व्यक्तियों को इस अधिनियम की धारा 2(1) के तहत 'वित्तीय संस्थानों' की परिभाषा के भीतर लाया है। तदनुसार, इस अधिनियम की धारा 12 और उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार, प्राधिकृत व्यक्तियों को वित्तीय आसूचना इकाई - इंडिया (एफआइयू-आइएनडी) को निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी देना अपेक्षित है। भारत सरकार ने अपनी दिनांक 12 नवंबर 2009 की अधिसूचना सं.13/2009/ एफ.सं. 6/8/2009-इएस के जरिये धन शोधन निवारण (लेनदेनों के स्वरूप और लागत के अभिलेखों का रखरखाव, रखरखाव की प्रक्रिया और पद्धति तथा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियम, 2005 में भी संशोधन किया है।

तदनुसार, सभी प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि प्रयासित लेनदेन सहित लेनदेन, नकद में किये गये अथवा अन्यथा,

अथवा अनिवार्यत: जुड़ी हुई लेनदेन की श्रृंखला संदेहास्पद स्वरूप की है, सात दिनों के भीतर मुद्रा परिवर्तन संबंधी संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) एफआइयू-आइएनडी को प्रस्तुत करें। संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) के मैन्युअल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों फॉर्मेटस् एफआइयू-आइएनडी द्वारा उनकी वेबसाइट http://fiuindia.gov.in पर उपलब्ध कराये गये हैं।

निर्धारित किये गये एसटीआर फॉर्मेट प्राधिकृत व्यक्तियों के सभी फ्रेंचाइजियों के लिए भी लागू होंगे और फ्रेंचाइजर को यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी होगी कि उनके फ्रेंचाइजी भी उपर्युक्त रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करते हैं।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 15
ए.पी.(एफ/आरएल सिरीज) परिपत्र सं. 02
दिनांक 19 नवंबर 2009]

ii) अनिवासी विनिमय गृहों के रुपया/विदेशी मुद्रा वॉस्ट्रो खाते खोलने और उसके रखरखाव के लिए अनुदेशों का ज्ञापन

अनिवासी विनिमय गृहों के रुपया/विदेशी मुद्रा वॉस्ट्रो खाते खोलने और उसके रखरखाव के संबंध में 6 फरवरी 2008 के परिपत्र ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.28 (ए.पी.(एफएल/आरएल सिरीज) परिपत्र सं.2) और 22 अगस्त 2008 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.11(ए.पी.(एफएल/आरएल सिरीज) परिपत्र सं.1) द्वारा दिए गए कतिपय अनुदेशों में निम्नानुसार संशोधन किए गए हैं:

ज्ञापन का पैराग्राफ सं. (अ).3.ii - रुपया आहरण व्यवस्था / विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक और विनिमय गृहों के बीच के करार के पंजीकरण की आवश्यकता ऐच्छिक की गयी है। तथापि, इस प्रकार की व्यवस्था व्यापक विधि प्रलेखन की शर्त पर होनी चाहिए तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I द्वारा इस संबंध में सभी आवश्यक विधिक आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए।

पैराग्राफ (इ)1.xvi के बाद कोलेटेरल कवर पर अनुदेश - विनिमय गृह, जिन्होंने परिचालन के तीन वर्ष पूरे नहीं किए हैं, उनके लिए कोलेटेरल कवर की आवश्यकता को घटाकर एक महीने की पूर्वानुमानित आहरणों से 7 दिन कर दी गयी है। विनिमय गृह, जिन्होंने सफल परिचालन के तीन वर्ष पूरे किए हैं, के लिए कोई कोलेटेरल कवर निर्धारित नहीं है। फिर भी, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक पर्याप्त कोलेटेरल कवर मांगकर अपनी स्थिति सुरक्षित करें। उपर्युक्त 1 (vii) के अनुसार लेखापरीक्षक नियुक्त करना संभव न हो तो, कोलेटेरल कवर के रूप में 15 दिनों के अनुमानित आहरण के समकक्ष नकदी जमा अथवा अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त बैंक से गारंटी प्राप्त की जानी चाहिए।

6 फरवरी 2008 के परिपत्र ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.28 [ए.पी.(एफएल/आरएल सिरीज) परिपत्र सं.2] के अनुबंध-II के भाग सी की मद 6 में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं।

पैराग्राफ (इ)3.vii-के बाद कोलेटेरल कवर पर अनुदेश- विनिमय गृह किसी भी परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में 1 दिन के अनुमानित आहरण के समकक्ष नकद जमा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के पास रखेगा जिस पर बाजार से संबंधित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। विनिमय गृह किसी अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त बैंक से ली गई गारंटी के रूप में भी उपर्युक्त कोलेटेरल रख सकता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक नियमित अंतराल पर कोलेटेरल की पर्याप्तता की समीक्षा करते रहें।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.16
ए.पी.(एफएल/आरएल सिरीज) परिपत्र सं.3
27 नवंबर 2009]

iii) अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/ धन शोधन निवारण(एएमएल) मानदंड/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)/ धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्ति का दायित्व- मुद्रा परिवर्तन संबंधी कार्य

धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित पीएमएलए, 2002 के अनुसार फेमा की धारा 10(1) के अंतर्गत प्राधिकृत किए गए सभी प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत लाया गया है। अतः धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों तथा आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध संबंधी वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीई) की सिफारिशों के संदर्भ में वर्तमान के केवाइसी मानदंडों/ एएमएल मानदंडों / मुद्रा परिवर्तन कार्यकलापों में वित्तीय आतंकवाद की रोकथाम संबंधी विषयों की समीक्षा की गई। अपने ग्राहकों के जानिए (केवाइसी) मानदंडों/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों, मुद्रा परिवर्तन कार्यकलापों में आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध संबंधी विषयों से जुड़े विस्तृत अनुदेशों में संशोधन किया गया है।

2. तदनुसार, धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत मुद्रा परिवर्तन संबंधी कार्यों के संबंध में प्राधिकृत व्यक्तियों के दायित्व संबंधी संशोधित दिशानिर्देश एफ-भाग I में दिए गए हैं जिसे ए.पी.डीआइआर के साथ संलग्न किया गया है। इसके अलावा, सभी प्राधिकृत व्यक्तियों के पास उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'अपने ग्राहक को जानिए' तथा धन शोधन निवारण एवं आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध संबंधी संशोधित नीतिगत ढांचा उपलब्ध होना चाहिए।

3. ये दिशानिर्देश आवश्यक संशोधनों के साथ प्राधिकृत व्यक्ति के सभी एजेंटों /फ्रेंचाइजियों पर लागू होंगे तथा फ्रेंचाइजीकर्ता को यह सुनिश्चित करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि उनके एजेंट/फ्रेंचाइजी इन दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 17
ए.पी.(एफएल/आरएल सिरीज परिपत्र सं.04
दिनांक 27 नवंबर 2009]

iv) अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/ धन शोधन निवारण(एएमएल) मानदंड/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)/ धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्ति का दायित्व - मुद्रा अंतरण सेवा योजना के अंतर्गत विदेश से आवक विप्रेषण

धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित पीएमएलए, 2002 के अनुसार फेमा की धारा 10(1) के अंतर्गत प्राधिकृत किए गए सभी प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत लाया गया है। अतः धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों तथा आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध संबंधी वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीई) की सिफारिशों के संदर्भ में वर्तमान के केवाइसी मानदंडों/ एएमएल मानदंडों / मुद्रा परिवर्तन कार्यकलापों में वित्तीय आतंकवाद की रोकथाम संबंधी विषयों की समीक्षा की गई। अतः एएमएल मानकों तथा सीएफटी के संबंध में

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल(एफएटीएफ) की सिफारिशों के संदर्भ में अपने ग्राहकों के जानिए (केवाइसी) संबंधी मानदंडों/ एएमएल मानदंडों/ सीमापार से आवक विप्रेषण कार्यकलापों के संबंध में सीएफटी विषयों पर विस्तृत अनुदेश निर्धारित किए गए हैं।

2. तदनुसार, धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों(भारतीय एजेंट) के दायित्व संबंधी दिशानिर्देश परिपत्र के अनुबंध I में दिए गए हैं। सभी प्राधिकृत व्यक्तियों के पास उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'अपने ग्राहक को जानिए', 'धन शोधन निवारण' एवं आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध संबंधी नीतिगत ढांचा उपलब्ध होना चाहिए।

3. ये दिशानिर्देश आवश्यक संशोधनों के साथ एमटीएसएस के अंतर्गत भारतीय एजेंटों के सभी सब-एजेंटों पर भी लागू होंगे तथा प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंट) के लिए यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी होगी कि उनके सब-एजेंट भी जिन अनुदेशों का पालन करते हैं।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 18
ए.पी.(एफएल/आरएल सिरीज परिपत्र सं.05
दिनांक 27 नवंबर 2009]